न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 107/2021
ऑनलाईन नंबर 2021/189

निर्णय दिनांकः 09.02.2023

1. रचना बउम्र 7 वर्ष पुत्री दानाराम जाति जाट निवासीगण ग्राम बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर जरिये नाबालिग वादमित्र व संरक्षिका माता संतकला पत्नी दानाराम जाति जाट निवासी बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. भानुप्रिया बउम्र 4 वर्ष पुत्री दानाराम जाति जाट निवासीगण ग्राम बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर जरिये नाबालिग वादमित्र व संरक्षिका माता संतकला पत्नी दानाराम जाति जाट निवासी बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

1. भागूराम दत्तक पुत्र चेतनराम जाति जाट निवासी ग्राम बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. दानाराम पुत्र भागूराम जाति जाट निवासी ग्राम बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)
4. भागूराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़।

उपस्थितिः—

1. श्री सुखदेव व्यास अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री राजीव आत्रेय अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1
3. श्री बाबूलाल दर्जी अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 4
4. एकतरफा कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 2

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने उपर्युक्त अनुवानी दावा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है जिसमें सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थीगण के परदादा स्व. चेतनराम पुत्र भैराराम जाट के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 944 तादादी 49 बीघा 1 बिस्वा, नये खसरा नम्बर 1223 व वर्तमान खसरा नम्बर 1063 तादादी 12.41 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 963 तादादी 23 बीघा 02 बिस्वा नये खसरा नम्बर 1211 वर्तमान खसरा नम्बर 1073 तादादी 5.84 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 969 तादादी 15 बीघा 09 बिस्वा नये खसरा नम्बर 1236 एवं खसरा नम्बर 679 तादादी 24 बीघा 11 बिस्वा नये खसरा नम्बर 789 वर्तमान खसरा नम्बर 764 तादादी 6.20 हैक्टेयर वाकेरोही बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित रहे है। वादगत खसरान भूमि प्रार्थीगण की पैतृक खातेदारी की सम्पति है। स्वर्गीय चेतनराम के वारिसान की वंशावली दावा की समझाइश हेतु निम्न प्रकार से है :—

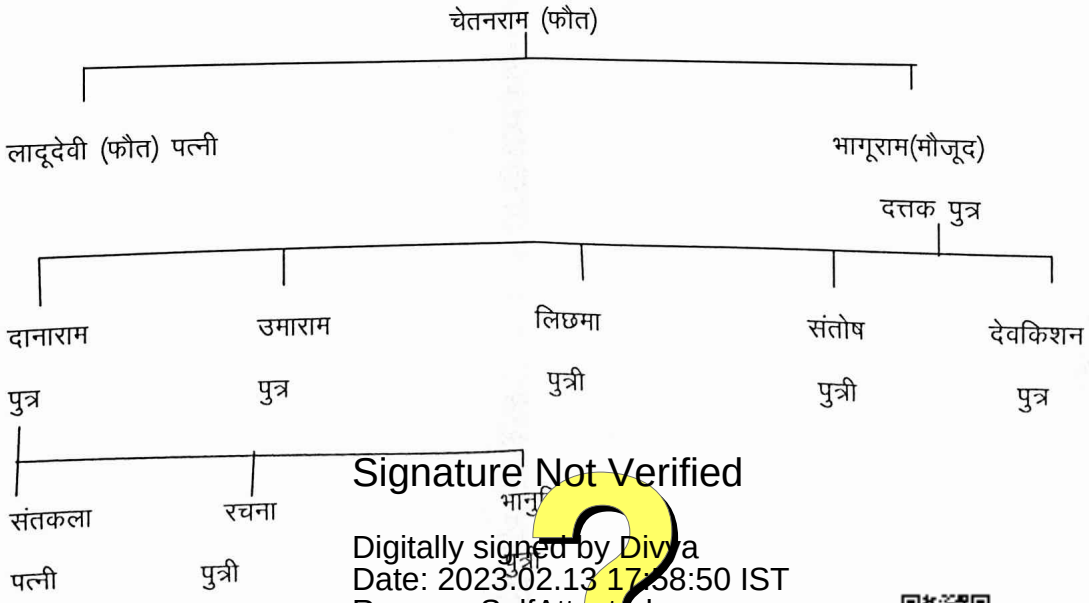

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.13 17:58:50 IST
Reason: SelfAttested

यह है कि प्रार्थीगण के परदादा चेतनराम की मृत्यु हो चुकी है। चेतनराम के कोई औलाद नहीं थी इसलिए चेतनराम ने अपने भतीजे रामजीलाल के पुत्र भागूराम को गोद ले लिया। भागूराम प्रार्थीगण के परदादा चेतनराम के गोद चले जाने के कारण व चेतनराम की मृत्यु के बाद परदादी लाधूदेवी के नाम

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

विरास्तन दर्ज हुई खातेदारी भूमि भी अप्रार्थी सं. 1 भागूराम के नाम दर्ज हो गई। अप्रार्थी संख्या 1 भागूराम के तीन पुत्र दानाराम, उमाराम, देवकिशन व दो पुत्रियां लिछमा, संतोष हुए हैं जो अप्रार्थी संख्या 1 की जायन्दा सन्ताने है। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 2 दानाराम की संताने है यानि वादगत खेत प्रार्थीगण की पैतृक खातेदारी के खेत है जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से ही हक हिस्सा निहित हो जाता है। यह है कि स्व. चेतनराम व लाधूदेवी की मृत्यु के बाद वादगत खेतों को अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने पुत्रों में मौका पर काबिजानुसार मौखिक बंटवारा कर हिस्से पांति में दे रखे हैं। मुताबिक हिस्सा पांति के खेत खसरा नम्बर 764 तादादी 6.20 हैक्टेयर की भूमि प्रार्थीगण के पिता दानाराम (अप्रार्थी संख्या 2) के हिस्से पांति में रखी गई जिस पर शुरू से आज तक अप्रार्थी संख्या 2 व प्रार्थीगण की माता संरक्षिका संतकला काश्त करती आ रही है व प्रार्थीगण का पालन पोषण कर रही है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 आपस में मिले हुए है व अप्रार्थी संख्या 2 शराब का सेवन करने का आदी है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज होने व अप्रार्थी संख्या 2 के शराब के नशे में धूत रहने के कारण खेत खसरा नम्बर 764 तादादी 6.20 हैक्टेयर भूमि में से 4 बीघा 11 बिस्वा भूमि (तदनुसार 1.1407 हैक्टेयर भूमि) को प्रार्थीगण के जन्म से पूर्व ही बिग्गा गांव के भंवरलाल के पुत्र महेन्द्र को विक्रय कर दिया। उक्त खसरा भूमि में अब 20 बीघा (तदनुसार 5.0593 हैक्टेयर) भूमि शेष बची है जिसे प्रार्थीगण की माता/संरक्षिका काश्त कर व करवाकर अपना व प्रार्थीगण का जीवनयापन करती है। प्रार्थीगण पूर्णतया अपनी माता व संरक्षिका संतकला के संरक्षण में रह रहे हैं जिनके हर प्रकार के हितों की रक्षा के लिये संतकला को (वाद मित्र) अधिकार बहैसियत संरक्षिका माता है। अप्रार्थी संख्या 2 शराब का आदी है जो नाबालिग प्रार्थीगण की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है व अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 2 के शराब के आदी होने का व अपने नाम दर्ज खातेदारी भूमि का नाजायज फायदा उठाकर उसको विक्रय, हस्तान्तरण करने की फिराक में रहता है। वादगत खसरा भूमि प्रार्थीगण के पुश्तैनी हकों की सम्पति है जिसमें प्रार्थीगण का स्वर्गीय चेतनराम की पौत्री होने के नाते विरास्तन हक हिस्सा जन्म से प्राप्त हुआ है। यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 गलत रूप से खसरा नम्बर 764 की शेष भूमि को भी विक्रय, हस्तान्तरण करने पर आमादा हो रहा है व आये दिन वादगत खसरा भूमि में अपने नाम दर्ज 50593/62000 हिस्से यानि 20 बीघा भूमि को विक्रय करने व खुर्द–बुर्द करने के लिए ग्राहकों को खेत दिखाने ले जाता रहता है जिसकी जानकारी प्रार्थीगण की माता/संरक्षिका को हुई तो प्रार्थीगण की वाद मित्र द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को कई बार निवेदन किया कि वे प्रार्थीगण की सार–सम्भाल व देखभाल, भरण पोषण हेतु उनकी पैतृक हिस्से की भूमि को किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द, रहन–वहन नहीं करें तो दिनांक 12.08.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण को ऐलानियां तौर पर धमकियां दी कि मैंने वादगत खसरा को बेच दिया है अब वो जल्द ही तुम्हारे हिस्से के खेत को अपने कब्जे में ले लेगा व तुम लोगों को बेदखल कर देगा, तुम्हें वादगत खसरा भूमि में एक इंच भूमि भी नहीं मिलेगी। यह है कि प्रार्थीगण अभी नाबालिग है और अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थीगण का पिता होने के बावजूद प्रार्थीगण की पैतृक हकुकों की सम्पति की रक्षा नहीं कर रहा है व शराब के नशे में धूत रहता है इसलिए प्रार्थीगण का भरण पोषण, शिक्षा दीक्षा हर प्रकार से केयर उनकी माता संतकला द्वारा की जा रही है। वाद मित्र (संरक्षिका माता) प्रार्थीगण के हितों के लिए उक्त वाद प्रस्तुत कर रही है। वादगत खेत में वाद मित्र (संरक्षिका) का वर्तमान में कोई हित व स्वार्थ नहीं है। वाद मित्र द्वारा प्रार्थीगण के शरीर व सम्पति की सुरक्षा व हितों की रक्षा के लिए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। यह है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 764 मौखिक हिस्से पांति में अप्रार्थी संख्या 2 दानाराम के हिस्से में आया हुआ है इसलिए वादगत खेत में प्रार्थीगण का 2/3 हिस्सा है व अप्रार्थी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा बनता है। अप्रार्थी संख्या 1 लालची प्रवृति का व्यक्ति है जो येन केन प्रकारेण वादगत खेत का रिकॉर्ड में अपने नाम का नाजायज फायदा उठाकर विक्रय करने की कुचेष्टा में है। प्रार्थीगण जरिये वाद मित्र (संरक्षक) अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से दिनांक 12.08.2021 को वादगत खेत को विक्रय नहीं करने का निवेदन किया व कहा कि प्रार्थीगण का जीवन का एकमात्र साधन वादगत खेत ही है तथा आप ही प्रार्थीगण के पालन पोषण [illegible] का ही एकमात्रा सहारा है तब अप्रार्थी संख्या 1 ने कहा कि मैंने तो दानाराम के हिस्से में [illegible] खसरा नम्बर 764 की भूमि को किसी अन्य बलशाली व्यक्ति को विक्रय [illegible] खेत में कब्जा कर लेगा, तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, हमें प्रार्थीगण [illegible] स्वीकार नहीं है व ना ही हम प्रार्थीगण का लालन, पालन व पोषण करें तब वाद मित्र ने अप्रार्थी संख्या 3 के कार्यालय में दिनांक 13.08.2021 को निवेदन किया कि वो वादगत खेत के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किसी अन्य अजनबी व्यक्ति के

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.13 17:58:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

पक्ष में विक्रय, हस्तान्तरण प्रस्तुत होने पर उसको तस्दीक नहीं करें तो अप्रार्थी संख्या 3 ने भी प्रार्थीगण के वाद मित्र को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया व कहा कि आप अदालत में कानूनी कार्यवाही करो। ऐसी स्थिति में वादमित्र द्वारा प्रार्थीगण के अधिकारों की रक्षा के लिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाये जाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 4 को खेत खसरा नम्बर 764 तादादी 6.20 हैक्टेयर वाकेरोही बिग्गा में से 50593/62000 हिस्सा जो विक्रय पत्र रजिस्टर्ड दिनांक 02.08.2021 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 619 में पृष्ठ संख्या 171 क्रम संख्या 202103375102351 पर उप पंजीयक कार्यालय श्रीडूंगरगढ़ में पंजीकृत किया गया है। यह विक्रय पत्र प्रार्थी के हितों के विपरीत होने से शून्य व अवैध व प्रभावहीन दस्तावेज है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावे कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 764 तादादी 6.20 हैक्टेयर वाकेरोही बिग्गा से प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार से बेदखल नहीं करें, ना करावे तथा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग से वंचित नहीं करें ना ही वादगत खेत को किसी अन्य को विक्रय, रहन, बैय दीगर तरीके से मुन्तकिल करें ना ही ऐसा कोई कृत्य अथवा अपकृत्य करें जिससे प्रार्थीगण के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता हो। अप्रार्थीगण तादावा फैसला मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये परन्तु जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण जवाब प्रार्थन पेश करनें का अवसर बन्द किया गया। बहस उभय पक्षकरान सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराया जाकर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने एवं तादावा फैसला मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखे जानें का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी संख्या 4 के अधिवक्ता ने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का खंडन करतें हुए निवेदन किया गया कि वादगत खेत प्रार्थीगण के कतई पैतृक खातेदारी के खेत नहीं है। प्रार्थीगण का वादगत खेतों में जन्म से ही हक व हिस्सा निहित नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 ने वादगत खेतों का मौखिक बंटवारा कतई नहीं किया हैं। अप्रार्थी संख्या 1 अपने खातेदारी के खेतों को कब्जा, काश्त उपयोग व उपभोग में लेता चला आ रहा है। खेत खसरा नम्बर 764 तादादी 6.20 हैक्टेयर की भूमि प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या 2 के हिस्से पांती में नहीं रखी गई थी। खेत खसरा नम्बर 764 तादादी 6.20 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं ही कब्जा काश्त उपयोग व उपभोग में लेता चला आ रहा था। उक्त वादगत खेत को ना तो कभी अप्रार्थी संख्या 2 ने काश्त किया है ना ही प्रार्थीगण की माता संतकला ने काश्त किया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ना तो आपस में मिले हुये है ना ही अप्रार्थी संख्या 2 शराब का आदी है। अप्रार्थी संख्या 1 सीनियर सिटीजन व्यक्ति है, जिसने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खेत खसरा नम्बर 764 तादादी 6.2000 हैक्टेयर भूमि में से 11407/62000 हिस्सा महेन्द्र पुत्र भंवराराम को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा विक्रय कर दी तथा उक्त खसरा की 50593/62000 हिस्सा भूमि अप्रार्थी संख्या 4 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा दिनांक 02.08.2021 को विक्रय कर कब्जा, उपयोग व उपभोग अप्रार्थी संख्या 4 को सुपुर्द कर दिया। उक्त खेत के 50593/62000 हिस्सा भूमि पर कब्जा, उपयोग व उपभोग अप्रार्थी संख्या 4 का ही चला आ रहा है। खेत खसरा नम्बर 764 तादादी 6.200 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि नहीं रही हैं। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि में प्रार्थीगण का किसी प्रकार का हक व हिस्सा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं। अप्रार्थी संख्या 2 व संतकला दोनों पति/पत्नी है, वादगत ,खेत [illegible] को शुरू से ही जानकारी हैं। वादगत खेत अप्रार्थी संख्या 4 को विक्रय करने के [illegible] की माता संतकला व अप्रार्थी संख्या 2 ने आपस में दुरभिसंधि करते हुए उक्त [illegible] प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थीगण का व अप्रार्थी संख्या 2 व संतकला का वादगत [illegible] कब्जा रहा है ना ही उक्त खेत में प्रार्थीगण का कोई हक व हिस्सा निहित है। यहां यह भी अवलोकनीय है कि वादगत खेत अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 02.08.2021 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 को विक्रय कर दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.13 17:58:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

था। वादगत खेत विक्रय होने के बाद दिनांक 17.08.2021 को प्रार्थीगण ने उक्त दावा को रंगत देने के उद्देश्य से वर्णित किये गये हैं। दावा/प्रार्थना–पत्र दायरी के दिन वादगत खेत खसरा नम्बर 764 तादादी 6.20 हैक्टेयर का खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 नहीं था। ऐसी स्थिति में दिनांक 12.08.2021 को प्रार्थीगण को किसी प्रकार की धमकियां देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं। वादगत खेत अप्रार्थी संख्या 1 का खातेदारी का नहीं रहा है, वादगत खत को अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 02.08.2021 को अप्रार्थी संख्या 4 को विक्रय कर दिया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का 2/3 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वादगत खेत दावा/प्रार्थना–पत्र दायरी से पूर्व ही विक्रय हो चुका था, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का 2/3 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वादगत खेत दावा/प्रार्थना–पत्र दायरी से पूर्व ही विक्रय हो चुका था, ऐसी स्थिति में दिनांक 12.08.2021 को किसी प्रकार की धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं। अप्रार्थी संख्या 1 सीनियर सिटीजन व्यक्ति है, जिसने अपने भरण पोषण, स्वास्थ्य संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खेत को विक्रय किया हैं। प्रार्थीगण को वादगत खेत के मालिक के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पक्ष में ना तो प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है ना ही सुविधा संतुलन का सिद्धान्त है तथा ना ही प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति हो रही है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस समाप्त करतें हुए माननीय रेवन्यू बोर्ड की आरएलडब्लयू 2004 आरजे पृष्ठ संख्या 509, 511, 610 न्यायिक दृष्टान्त पेश करतें हुए निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज नहीं है राजस्व अभिलेख के अभाव में मौखिक कथन का कोई महत्व नहीं है स्वत्व की घोषण केवल दावें में ही की जा सकती है राजस्व अभिलेख के अभाव में रिकार्ड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती कोई प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं बनता है एवं प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। वादगत खसरान भूमि में से 11407/62000 हिस्सा भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 ने मूल वाद के प्रतिवादी संख्या 8 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रय कर दी हे तथा उक्त खसरा की 50593/62000 हिस्सा शेष भूमि को अप्रार्थी संख्या 4 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दी है। वादगत भूमि के क्रेतागण सद्भावी क्रेता प्रतीत होते है जिन्होने वादगत भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के माध्यम से खरीद की है। हक एवं हिस्से का निर्धारण मूल वाद में होना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला बनना नहीं पाया जाता है एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने से असुविधा एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार फरमाया जाता है।

आदेश आज दिनांक 09.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.13 17:58:50 IST
Reason: SelfAttested